विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–319/2026

श्री राजेन्द्र प्रसाद — वादी
श्रीकोट गंगानाली।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद जी, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 13.08.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा अपने संयोजन सं0–SN12203030344 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जब से उनके परिसर पर स्मार्ट मापक स्थापित किया गया है तब से उनको अधिक विद्युत बिल प्राप्त हो रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा पूर्व मे भी अधिक बिल आने सम्बन्धी शिकायत की गई थी तत्पश्चात् विपक्षी विभाग द्वारा उनके परिसर पर दिनांक 25.06.2026 को चैक मापक स्थापित किया गया जिसको दिनांक 18.07.2026 को फाइनल किया गया। परन्तु आतिथि तक वादी की अधिक बिल सम्बन्धी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया है। वादी द्वारा साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि विपक्षी विभाग उनके परिसर पर निरीक्षण करने आ सकते है जिससे पता चल जायेगा कि भवन में बुनियादी बिजली, फ्रिज और पंखा ही उपकरण के तौर पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा माह मार्च 2026 के पश्चात् से बिल का भुगतान नही कराया गया है। यदि विपक्षी विभाग को ऐंसा प्रतीत होता है कि भवन में स्थापित विद्युत संयोजन का लोड (03KW) अधिक है तो उसको घटाने की कृपा करें ताकि वादी समय–समय पर विद्युत बिल का भुगतान कर सके।

1/9/2026 1/9/2026

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1039, दिनांक 13.08.2026 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2660/विविखश्री, दिनांक 24.08.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता के ऑनलाईन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि उपभोक्ता को जो भी बिल निर्गत किये गये हैं वह रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये है, जो कि नियमानुसार सही है। उपभोक्ता की डिमाण्ड/खपत 03 कि0वा0 तक जाने के कारण मुख्यालय द्वारा लोड बढाया गया है। जिसके लिए अग्रिम बिलो को देखते हुए संज्ञान लिया जायेगा।

आज दिनांक 01.09.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को विद्युत बिल मीटर रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

विपक्षी द्वारा वादी को नियमानुसार रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

1/9/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

1/9/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 01.09.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

1/9/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

1/9/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–336/2026

श्री वीरेन्द्र जुगरान — वादी
एम0आई0सी0 रोड
पौडी गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री वीरेन्द्र जुगरान जी, नियर एम0आई0सी0 रोड, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 20.08.2026 को उपखण्ड कार्यालय पौडी शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि यदि 10 दिन के भीतर ऑनलाईन बिल का भुगतान करतें है तो 1.5 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाती है एवं यदि ऑफलाईन बिल का भुगतान किया जाता है तो 01 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाती हैं, परन्तु आज तक वादी को इसका लाभ नही मिला है, जिसमें वादी द्वारा अपने समस्त बिलों में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1056, दिनांक 21.08.2026 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

1/9/2026 1/9/2026

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1452/वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि दिनांक 27.08.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता को विद्युत बिलों में ससमय भुगतान करने पर मिलने वाली छूट प्रदत्त की जा रही है।

आज दिनांक 01.09.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को बिल में मिलने वाली छूट प्रदान की जा रही है।

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

1/9/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

1/9/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 01.09.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

1/9/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

1/9/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)